

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
नोडल लोक सूचना अधिकारी
एवं वरिष्ठ ई.डी.पी.प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे , वाराणसी।

वईडीपीएम/पीआईओ/2015/आस्टीआई

दिनांक 19.09.2018

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन एवं शुल्क
जमा करने का नियम।**

- 1- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन से सम्बन्धित मामलों में लोक सूचना अधिकारी/वरि.ई.डी. पी.एम. पूरे वाराणसी के नाम होनी चाहिये।
- 2- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 10/- रुपये का शुल्क जो रेलवे कैश रसीद की मूल प्रति/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) के रूप में होना चाहिये। जो वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे के पक्ष में देय होना चाहिये।
- 3- रेलवे कैश रसीद पर प्राथमिकता दें।

नोडल लोक सूचना अधिकारी
एवं वरिष्ठ ई.डी.पी.प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे , वाराणसी।